भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1428

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2023

नि:शक्तजनों की शिक्षा और रोजगार तक पहुंच बनाना

1428. श्री जयंत सिन्हा:
श्री पी.सी. मोहन:
श्रीमती संध्या राय :
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :
श्री राजेश वर्मा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नि:शक्तजनों के लिए शिक्षा और रोजगार को और अधिक सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) नि:शक्तजनों के लिए शिक्षा और रोजगार को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) नि:शक्तता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसके लिए बेंगलुरू शहरी सहित जिले-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस योजना के लिए जिले-वार कितना बजट आबंटन किया गया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ख): महोदय, शिक्षा को और अधिक सुगम्य बनाने के लिए दिव्यांगजनों के सर्वोत्तम हित में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक' तैयार किए हैं और एआईसीटीई ने 'दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए समावेशी शिक्षा हेतु एआईसीटीई दिशा-निर्देश' तैयार किए हैं।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम- समग्र शिक्षा योजना शुरू की है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन के लिए आईई) हेतु एक समर्पित घटक है, ताकि पूर्ण समानता और समावेश इस तरह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें। इस योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 वीं तक की शिक्षा को जारी रखना है। यह योजना

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की दिव्यांगता की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक दिव्यांगता वाले सभी सीडब्ल्यूएसएन को कवर करती है। समग्र शिक्षा योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है और केन्द्र सरकार इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से, सीडब्ल्यूएसएन हेतु विभिन्न प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे कि पहचान और मूल्यांकन शिविर (ब्लॉक स्तर पर), छात्र विशिष्ट हस्तक्षेप प्रति सीडब्ल्यूएसएन प्रति वर्ष 3500/- रुपये की दर से सहायता के लिए, जैसे कि गंभीर और बहु दिव्यांगता वाले बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं उनके लिए सहायक यंत्र, साधन, सहायक उपकरण, शिक्षण-अधिगम सामग्री, ब्रेल किताबें, बड़े प्रिंट वाली किताब । समग्र शिक्षा का केंद्र ध्यान सीडब्ल्यूएसएन को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं / दिव्यांगताओं की परवाह किए बिना भाग लेते हैं और एक ही कक्षा में एक साथ सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक समान सक्षम शैक्षिक वातावरण का सृजन करते हैं ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 17 (आई) में दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय तथा दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट प्रदान करने के माध्यम से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने का प्रावधान है। इसे ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति संवेदनशील होने के नाते दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किए गए अनुसार मूक-बधिरों सहित सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायतें प्रदान करता है जैसे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, स्क्राइब और प्रतिपूरक समय की सुविधा, स्क्राइब की नियुक्ति और संबंधित निर्देश, शुल्क और दसवीं कक्षा के लिए विशेष छूट जैसे तीसरी भाषा से छूट, विषयों के चयन में लचीलापन, वैकल्पिक प्रश्न/पृथक प्रश्न और बारहवीं कक्षा के लिए विशेष छूट जैसे विषयों को चयन में लचीलापन, पृथक प्रश्न पत्र और व्यावहारिक घटक के स्थान पर प्रश्न ।

इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) लागू कर रहा है, जिसे मार्च, 2015 में शुरू किया गया था। एनएपी को अम्ब्रेला योजना - "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)" के तहत लागू किया गया है। एनएपी के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी और यथा संशोधित सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। विभाग ने हाल ही में पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत, दो मॉड्यूल हैं: –

(i) कौशल प्रशिक्षण: – देश भर में पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन रोजगार सेतु:- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए रोजगार रखने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करना है। यह मंच पूरे भारत में निजी कंपनियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों में रोजगार / कमाई के अवसरों पर जियो-टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरे देश में सिपडा योजना के तहत एक घटक के रूप में ''जागरूकता सृजन और प्रचार योजना'' लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजन करना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता सृजन के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है।

(घ): पिछले तीन वित्त वर्षों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएपी के तहत लाभार्थियों की संख्या और सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) को जारी की गई निधियां नीचे दी गई है:

राज्य	2020-21			2021-22			2022-23		
	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	ईटीपी को जारी की गई निधि	नियोजित लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	ईटीपी को जारी की गई निधि	नियोजित लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	ईटीपी को जारी की गई निधि	नियोजित लाभार्थियों की संख्या
मध्य प्रदेश	420	24.52 लाख	-	0	0	-	-	49.27 लाख रुपये (दूसरी किस्त)	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	30	3.42 लाख	19	88	18.82 लाख	47	26	1.42 लाख	-

(ड.): सिपडा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) एक मांग आधारित घटक है। एनएपी के अंतर्गत राज्य-वार कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है ।

*****